

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 277]

नवा रायपुर, मंगलवार, दिनांक 2 जून 2026 — ज्येष्ठ 12, शक 1948

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 4 मई 2026

अधिसूचना

क्रमांक ESTB/8449/2025-HOUSING.— छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल अधिनियम, 1972 की धारा 103 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए मण्डल राज्य शासन के अनुमोदन से छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल सेवा (भर्ती) विनियम 2011 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त विनियम में:-

1. अनुसूची एक, दो एवं चार में नवीन स्वीकृत पद मुख्य वास्तुविद एवं उपायुक्त (विद्युत) को निम्नानुसार सम्मिलित किया जाता है:-

अनुसूची-एक

अ क्र	सेवा में सम्मिलित पदों का नाम	स्वीकृत पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड	नियुक्ति प्राधिकारी	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7
1	मुख्य वास्तुविद	1	प्रथम श्रेणी	15600-39100 (ग्रेड वेतन -7600)	आयुक्त	
2	उपायुक्त (विद्युत)	1	प्रथम श्रेणी	15600-39100 (ग्रेड वेतन -7600)	आयुक्त	

अनुसूची-दो

अ क्र	सेवा में सम्मिलित पदों का नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत		अन्य सेवा से अस्थायी स्थानांतरण एवं प्रतिनियुक्ति द्वारा	टिप्पणियां
			चयन द्वारा सीधी भर्ती	सेवा के स्थानापन/ मूल सदस्यों की पदोन्नति द्वारा		
1	2	3	4	5	6	7
1	मुख्य वास्तुविद	1	—	100%	—	—
2	उपायुक्त (विद्युत)	1	—	100%	—	—

अनुसूची-चार

क्र	पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति के लिए सेवा की न्यूनतम कालावधि/योग्यता	विभागीय पदोन्नति समिति का गठन	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6
1	वास्तुविद	मुख्य वास्तुविद	05 वर्ष का सेवाकाल	—	—
2	कार्यपालन अभियंता (विद्युत)	उपायुक्त (विद्युत)	05 वर्ष का सेवाकाल एवं विद्युत इंजीनियरिंग में उपाधि	—	—

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
देवेन्द्र सिंह भारद्वाज, विशेष सचिव.